मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-12.11.2014 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. मामलों के त्वरित निष्पादनार्थ आहूत की गई है। यह भी बताया गया कि मुख्यत: सेवान्त लाभ, पेंशन एवं प्रोन्नति से संबंधित मामले लम्बित रहने के कारण ही मामला न्यायालय में जाता है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

2. . स्वास्थ्य विभाग मे अवमाननावाद के 145 एव CWJC के 1540 मामले लंबित हैं। स्वास्थ्य विभाग में वादों की संख्या सबसे अधिक है। मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा विभागीय स्तर पर समीक्षा कर शीघ्र कारणपृच्छा/प्रतिशपथ-पत्र दायर कर लंबित मामलों में कमी लाने का निदेश दिया गया।

3. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में अवमाननावाद के 4 तथा CWJC के 60 मामले लंबित हैं। लंबित मामलों में शीघ्रता पूर्वक कारणपृच्छा/प्रतिशपथ-पत्र दायर करने का निदेश मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा दिया गया।

4. शिक्षा विभाग के अवमाननावाद के 122 तथा CWJC के 1415 मामले लंबित है। अवमाननावाद के मामले को न्यूनतम स्तर पर लाने का तथा CWJC के मामले को 150-200 तक लाने का लक्ष्य मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग को दिया गया।

5. कृषि विभाग में अवमाननावाद के 15 तथा CWJC के 70 मामले लंबित हैं। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विभागीय स्तर पर समीक्षा कर लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

6. ऊर्जा विभाग में अवमाननावाद के 16 तथा CWJC के 409 मामले लंबित हैं। मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा निदेश दिया गया कि ऐसे मामले जिनमें प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग औपचारिक प्रतिवादी हैं। उन मामलों में कारणपृच्छा/प्रतिशपथ-पत्र दायर कर दिया जाए।

7. नगर विकास एवं आवास विभाग में अवमाननावाद के 62 तथा CWJC के 539 मामले लंबित है। CWJC के अधिकांश मामले नगर निकायों के है। इन मामलों में प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर करने हेतु कोई नीति बनाकर शीघ्रता से निष्पादन कराने का निदेश मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा दिया गया।

8. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बैठक में यह निदेश दिया कि CWJC/MJC/LPA /SLP के वैसे मामले जो दो वर्षों से पुराने मामले हैं उनकी वस्तु स्थिति स्पष्ट किया जाए ताकि लंबित वादों की समीक्षा और सही प्रकार से किया जा सके। साथ ही विशेष अभियान चलाकर मामलों में प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दाखिल करने की कारवाई किए जाने का निदेश भी दिया गया।

9. बैठक में कुछ विभाग जिनमें निविदा से संबंधित मामले लंबित है के प्रधान सचिव/सचिव के द्वारा यह मांग किया गया कि इन मामलों में किसी निश्चित अधिवक्ता को ही चयनित किया जाए, जिससे वे अधिवक्ता विभाग का पक्ष सही प्रकार रख सकें।

10. किसी विभाग में यदि किसी कर्मचारी/पदाधिकारी के अपने कर्तव्यों के निर्वाहन में उदासीनता के कारण कुछ मामले वर्षों तक लंबित रह जाते है, ऐसे मामले लंबित रहने के उपरांत पुनः प्रस्ताव हेतु भेज दिया जाता है। इस प्रकार के मामलों में दोषियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कारवाई करने का निदेश सभी प्रधान सचिव/सचिव को मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा दिया गया।

11. बैठक में कुछ विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रवेश हेतु प्रवेश पत्र के संदर्भ में मुख्य सचिव, बिहार को पुनः स्मारित कराया गया। इस संदर्भ में आवश्यक कदम उठाने हेतु सचिव, विधि विभाग को निदेशित किया गया।

12. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में दिनांक-06.12.2014 को आयोजित होने वाली लोक अदालत के संबंध में भी चर्चा किया गया। सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को यह निदेश दिया गया कि वे अपने-अपने विभाग में लंबित वैसे मामले जिन्हें लोक अदालत में निष्पादन हेतु रखा जा सकता है को चयनित करें एवं मामलों को लोक अदालत में रखे जाने के संबंध में आवश्यक कारवाई करें।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

17/11/14

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/7694**जे0** **पटना, दिनांक-**18.11.14

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/7694**जे0** **पटना, दिनांक-**18.11.14

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/11.

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।